

प्रेषक,

आलोक कुमार,
सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1-आवास आयुक्त,
उ०प्र०आवास एवं विकास परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

2-उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

3- सचिव,
समस्त विशेष क्षेत्र विकास
प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक 28फरवरी, 2011

विषय: भूमि अध्याप्ति अधिनियम, 1894 (यथासंशोधित) की धारा-17 का प्रयोग
किये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश
संख्या-71-1/13-11-7-3(1)/90-59टी०सी०-। दिनांक04.02.2011 (छायाप्रति
संलग्न) का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजस्व विभाग के
संलग्न शासनादेश दिनांक 04.02.2011 में निहित निदेशों का कड़ाई से अनुपालन
करते हुए तदनुरूप ही भूमि अधिग्रहण के सम्बंध में अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित
कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय,

आलोक कुमार
सचिव।


संख्या- (1)/8-3-2011

उपर्युक्त की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
प्रेषित:-

1- आयुक्त एवं निदेशक, भूमि अध्याप्ति निदेशालय, राजस्व परिषद, उत्तर
प्रदेश।

2- अपर निदेशक (नियोजन), आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश को इस आशय से
प्रेषित कि कृपया इस शासनादेश को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड
करते हुए शासनादेश की प्रतियां सभी सम्बंधित को प्रेषित करने का
कष्ट करें।

3- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अजय दीप सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या- 71-1/13-11-7-3(1)/90-59टी.सी.-1

प्रेषक,

विष्णु प्रताप सिंह,
विशेष सचिव,
राजस्व विभाग,
उOप्रO शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग-13

लखनऊ दिनांक 04 फरवरी, 2011

विषय- भूमि अर्जन अधिनियम 1894 (यथा संशोधित 1984) की धारा 17 का प्रयोग किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-1291/1-13-2004-7-3 (1)/90-59 टी.सी.-रा0-13, दिनांक 06 अगस्त, 2004 द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि धारा-4 व 6 संपादित धारा-17 भूमि अर्जन अधिनियम की विज्ञप्ति संबंधित प्रशासकीय विभागों द्वारा स्वयं जारी की जाये। यह अनुभव किया गया है कि धारा-4 व 6 संपादित धारा-17 के प्रयोग के संबंध में समस्त प्रशासकीय विभागों को दी गयी शक्ति का प्रयोग युक्तियुक्त रूप से नहीं किया जा रहा है। धारा-17 का प्रयोग अत्यन्त आपदादिक परिस्थितियों में किया जाना अपेक्षित होता है और उसके पूर्व यह देखा जाना आवश्यक होता है कि धारा-17 के उपयोग की अपरिहार्यता है।

अस्तु, धारा-17 के युक्ति संगत प्रयोग एवं उसमें एकरूपता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि 6 विभागों कमशः लोक निर्माण विभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, ऊर्जा विभाग, औद्योगिक विकास विभाग, सिंचाई विभाग एवं नगर विकास विभाग को छोड़कर शेष अन्य समस्त विभागों द्वारा भूमि अध्याप्ति के प्रकरणों में यदि धारा-17 का प्रयोग किया जाना प्रस्तावित हों तो ऐसे समस्त प्रस्ताव कलेक्टर को उपलब्ध कराये जायेंगे और तदोपरान्त भूमि अध्याप्ति निदेशालय, राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश, लखनऊ के माध्यम से शासन के संबंधित प्रशासकीय विभागों को उपलब्ध कराये जायेंगे।

समस्त प्रशासकीय विभाग ऐसे प्रस्तावों जिनमें धारा-4 (1) एवं धारा 6 (1) संपादित धारा-17 का प्रयोग किया जाना प्रस्तावित हो उन प्रकरणों में ऐसी विज्ञप्ति निर्गत करने से पूर्व धारा-17 के प्रयोग के औचित्य के संबंध में शारदा के राजस्व विभाग का पूर्वानुमोदन अनिवार्य रूप से प्राप्त करेंगे। ऐसे भू अर्जन प्रस्तावों का परीक्षण राजस्व विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा जिसमें शासनादेश संख्या-1548/1-13-2002-रा10 12, दिनांक 30 सितम्बर, 2002 एवं संख्या- 1666/1-13-2010-18-1(95)/10, दिनांक 01 दिसम्बर, 2010 तथा परिषद के आदेश संख्या- 2623/10(भू0310)/93 अ/04, दिनांक 07 दिसम्बर, 2004 विषय रूप से उल्लेखनीय हैं। प्रशासकीय विभाग द्वारा उपरोक्तानुसार समस्त अधिलेखों सहित ऐसे भू अर्जन प्रस्तावों के साथ धारा-17 का प्रयोग किये जाने के औचित्य के संबंध में एक विस्तृत टिप्पणी तीन प्रतियों में अलग से पत्रावली में प्रस्तुत किया जाना भी अनिवार्य होगा।

3- उपरोक्त प्रस्तर-2 में उल्लिखित 6 विभागों द्वारा धारा-17 का प्रयोग राजस्व विभाग एवं राजस्व परिषद द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों/आदेशों के परिप्रेक्ष्य में गंभीरता विचार करने के उपरान्त अपने स्तर से ही पूर्ववत् किया जायेगा।

कृपया उपरोक्त का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,


(विष्णु प्रताप सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या: 71(1)-1/13-11-7-3(1)/90-59टी.सी.-1/तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. आयुक्त एवं निदेशक, भूमि अध्याप्ति निदेशालय, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
2. शासन के समस्त अनुभाग।
3. गार्ड फाइल।



(भवेश रंजन)
अनु सचिव